न्यायालय सब जज–तृतीय, डुमरॉव, जिला–बक्सर

विविध वाद–18/2018

विनोद कृष्णा उपाध्याय– आवेदक
बनाम्
रवि नन्दन उपाध्याय वगैरह – विपक्षीगण

आदेश

03.01.2026

आवेदक की पैरवी है। प्रस्तुत विविध वाद सं0–18/2018 मूल स्वत्व वाद सं0–230/2001 को पुनर्जीवित करने हेतु दाखिल किया गया है। वाद पुकार किया गया। वाद पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवकता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। वाद सुनवाई के दौरान विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मूल स्वत्व वाद सं0– 230/2001 जो दिनांक–24.11.2017 को अदम पैरवी में खारिज हो गया है जिसको पुनर्जीवित करने के संबंध में आवेदक/प्रार्थी द्वारा विविध वाद संख्या–18/2018 दाखिल किया गया है। प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण पर सम्मन दाखिल करना था लेकिन अज्ञानता में सम्मन दाखिल नहीं हुआ क्योंकि वादी के अधिवक्ता प्रार्थीगण को नही बताये क्योंकि खुद बाइलाज कराने बाहर चले गये थे। आवेदक जान बूझकर पैरवी नहीं छोड़े हैं बल्कि हमेशा पैरवी करते आये है जानकारी के अभाव में आदेश का अनुपालन नहीं हो सका। मूल वाद वाद खारिज होने से आवेदकगण को काफी क्षति है। मुकदमा को पुनर्जीवित करने हेतु प्रार्थी अन्डर टेक करता है कि शीघ्र सम्मन दाखिल करेंगे। वाद के सुनवाई में प्रार्थी हमेशा सहयोग करेंगे वो अदालत के हर एक आदेश का अनुपालन में प्रार्थीगण किसी तरह का लापरवाही नहीं बरतेंगे। अतः निवेदन है कि आवेदक का मूल नंबरी वाद संख्या–230 सन् 2001 को पुनर्जीवित करने का आदेश दिया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक द्वारा दाखिल विविध वाद सं0–18/2018 मूल स्वत्व वाद संख्या–233/2001 को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना किया गया है। आवेदक के द्वारा मूल स्वत्व वाद में अदम पैरवी नहीं करने के कारण दिनांक–24.11.2017 को खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार आवेदक ने अपने मुकदमा में जिस परिस्थितियों को दर्शाया है जिसके कारण मुकदमा खारिज हुआ है उस समय आवेदक को जानकारी नहीं थी। पुनः

आवेदक के द्वारा कहा गया कि जानकारी के अभाव में वाद दिनांक–24.11.2017 को खारिज हुआ है। ऐसी परिस्थिति में यह समुचित कारण प्रतीत होता है कि वाद खारिज होने का कारण आवेदक के द्वारा उत्पन्न नहीं था। चूंकि वाद खारिज होने के लिए जो भी परिस्थितियां थी वह आवेदक के द्वारा जन्य न होकर परिस्थितिजन्य प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए तथा मूल स्वत्व वाद 230 सन् 2001 में उपस्थित पक्षकारों के मध्य विवादित बिन्दुओं के संपूर्ण निस्तारण हेतु एक मौका आवेदक को देना न्यायोचित प्रतीत होता है। पुनः वादी के द्वारा समय–सीमा के अवधि के बाद आवेदन दाखिल करने के कारण को भी तर्कसंगत तथ्य के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है।

अतः संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए समय तथा व्यय को दृष्टिगत रखते हुए विविध वाद संख्या–18/2018 को न्यायहित में मूल वाद संख्या 230/2001 को पुनर्जीवित करने का आदेश दिया जाता है।

वाद दिनांक–.....वास्ते अग्रिम कार्यवाही ।

लेखापित

सब जज–तृतीय